

FORM No. III

APP-A
Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुकाम दीगोद

कमला देवी विनाम अन्य जिव अर्थात् अर्थात्

मुकदमा नं. 212 RT Act सं. 01/18/2020

क्र. नं.	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील मे जारी हुए
----------	------------------------------------	---

-20	<p>प्रार्थना पत्र कमला देवी की और से अभिभाषक श्री सूरेंद्र दाधीच द्वारा उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे वकील श्री सूरेंद्र दाधीच को एकतरफा अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुना गया। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की प्रार्थीया की उक्त विवादित भूमि ग्राम मदारिया की ख0नं0 210 रकबा 1.80 है0 भूमि पर अप्रार्थीगण जोर जबरदस्ती के व अवेधानिक तरीके से बिना कानूनी प्रकिया के खाई नहीं खोदी जावे तथा प्रार्थीया के खेत की फसल को नुकसान कारित नहीं करे जबरन कब्जा करने का प्रयतन नहीं करे, काश्त व्यवस्था में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करे, तथा उक्त आराजी को खुर्द बुर्द नहीं करे व मेड को नहीं तोडे तथा उक्त भूमि की सीमाज्ञान करवाये बिना किसी प्रकार का कार्य नहीं करे। किसी प्रकार की मदाखलत न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण जारी फरमायी जावे। प्रार्थीया को उक्त विवादित भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम मदारिया तहसील दीगोद सं0 2073-76 तथा अन्य दस्तावेजो के आधार पर प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीया के पक्ष में नजर आता है।</p> <p>अतः प्रतिपक्षीगण के विरुद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम मदारिया के ख0नं0 210 रकबा 1.80 है0 विवादग्रस्त आराजीयात का दोनो पक्ष अपनी अपनी भूमि का सीमाज्ञान करावे । अप्रार्थी तक तक सीमाज्ञान न होवे तब तक कब्जे काश्त में दखलदांजी ना करे। अंतरिम निषेधाज्ञा आगामी तारिख पेशी तक जारी कि जाती है। यदि प्रतिपक्षीगण को कोई आपत्ति हो तो वह आगामी पेशी को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करे। पत्रावली दिनांक 27.02.2020 को पेश हो।</p>	3/2/20 30/1/20 31/1/20
-----	--	------------------------------

(सूरेंद्र सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
दीगोद (कोटा)

20/5/21 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/
प्रतिवादी उमरिथत/अनु० पीठारसीन
अधिकारी राज. कार्य से मुख्यालय
से काहर/जयपुर पधारे हुये है।
पत्रावली पूर्वगत दि०...31.11.21
को पेश हो।

1-9-21 31-8-21 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/
प्रतिवादी उमरिथत/अनु० पीठारसीन
अधिकारी राज. कार्य से मुख्यालय
से काहर/जयपुर पधारे हुये है।
पत्रावली पूर्वगत दि०...30.11.21
को पेश हो।

पत्रावली का लोक अदालत हेतु चयन
किया गया, वक्षकारान को नोटिस
जारी हो पत्रावली दिनांक
...15.11.21 को पेश हो।

पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई
वक्षकारान के मध्य सहमत नहीं बन
पाई, पत्रावली दि०...30.11.21
को न्यायालय से पेश हो।

30/11 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/
प्रतिवादी उमरिथत/अनु० पीठारसीन
अधिकारी राज. कार्य से मुख्यालय
से काहर/जयपुर पधारे हुये है।
पत्रावली पूर्वगत दि०...28.11.21
को पेश हो।

28/11 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/
प्रतिवादी उमरिथत/अनु० पीठारसीन
अधिकारी राज. कार्य से मुख्यालय
से काहर/जयपुर पधारे हुये है।
पत्रावली पूर्वगत दि०...25.11.21
को पेश हो।

25/11 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/
प्रतिवादी उमरिथत/अनु० पीठारसीन
अधिकारी राज. कार्य से मुख्यालय
से काहर/जयपुर पधारे हुये है।
पत्रावली पूर्वगत दि०...25.11.21
को पेश हो।

29/9/22

पत्रावली पेश हुई, वकील तादी/प्रतिवादी
जा.स्थित। पीडासीन अधिकारी न राजकार्य
व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं
हो सकी। पत्रावली पूर्वत दिनांक
29/9/22 को
पेश हो।

29/9/22

पत्रावली पेश हुई। कम्पनी पार्स
एव कम्प पार्स अर्थात् पत्रावली
इतजार में रखी जाती। किन्तु
पत्रावली इतजार में रखी जाती।
किन्तु पत्रावली पेश करने
में से कोई उपस्थित नहीं। अतः
पत्रावली के माल के अन्तर्गत
किस अन्तर्गत पेशी में खारीज की
जाती है। पत्रावली के माल के अन्तर्गत
एव कम्प पार्स से इनकी खारीज
कराए जाते हैं।